2023/69

फर्द अहकाम

(नियम- 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत श्रीमान सहायक कलेक्टर

काबू खाँ पु० आलमशेर खाँ मुकाम डीडवाना

बनाम नवाब खान पु० मम्मूखाँ

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 53, 88, 188 R.T.A. सं. 26 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/23	आज यह वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अ./धारा 53,88,188 R.T.A. ... दर्ज हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी ... मिसल दिनांक 10/2/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना	
10/2/23	पत्रावली ... बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 20/2/23 को पेश हो। प्रति-नं.5 उपस्थित ...	गुलाम कासिम
20/2/23	पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 24/2/23 को पेश हो।	
24/2/23	पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 27/2/23 को पेश हो।	
27/2/23	पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 3/3/23 को पेश हो।	
3/3/23	पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 13/3/23 को पेश हो।	
13/3/23	पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 27/3/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/24	पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 18/7/24 को पेश हो।	
24	वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/7/2024 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी खारिज किया जाता है। वादी के कायम मुकाम/पारिसीमा अवधि में रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश न होने पर दावा जरिए एबेटमेन्ट खारिज किया जाता है। निर्णय जुदागाना लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 36/2023 दायर दिनॉक 19.01.2023

वादी

1. कालूखां पुत्र आलम शेर खान, किदरखानीयों की पोल, डीडवाना हाल निवास बिस्मिला कॉलोनी, धोद रोड, वार्ड नं0 23, सीकर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. नवाब खातून पुत्री ममदू खां
2. मजीद खां पुत्र ममदू खां
3. रसीद खां पुत्र ममदू खां फौत

3/1 मीना बानो पुत्री रसीद खां
3/2 सफिक खां पुत्र रसीद खां
3/3 हिना बानो पुत्री रसीद खां
3/4 रफीक उर्फ़ अमजद खां पुत्र रसीद खां

4. अब्दुल हमीद पुत्र गुलाम रसूल खां
5. गुलाम कासम खां पुत्र गुलाम रसूल खां समस्त जाति पठान, निवासी नागौर रोड, डीडवाना, तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0
6. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 136,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री ईस्लामुदीन वकील वादी।
2. श्री राजेन्द्र कुमार माथूर वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 25.07.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी कालू खां दिनांक 06.05.2023 को फौत हो गया है जिसकी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। वादी कालू खां की एकमात्र वारिस उत्तराधिकारी प्रार्थीया पत्नी साजिदा ही है जिसे वादी कालू खां के कायम मुकाम पर प्रार्थीया को पक्षकार संयोजित किया जाना लाजमी है। प्रकरणग्रस्त खेत मौजा पठानों का बाढ के खसरा सं0 495/39, 496/39, 38 पैत्रक सम्पति है। प्रार्थीया उक्त प्रकरण में पैरवी जरिये आम मुख्त्यार करना चाहती है इसलिए प्रार्थीया को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया को पक्षकार संयोजित किए जाने से प्रकरण की प्रकृति में बदलाव नही होगा तथा वाद बहुलता/विवाद को रोकने के लिए पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायहित में है।

अतः प्रार्थीया को वादी के कायम मुकाम पक्षकार संयोजित किए जाने का आदेश फरमावें।

प्रतिवादीगण की तरफ से जबाब पेश हुआ कि साजिदा पत्नी कालू खां पठान का कोई वकालतनामा या आवेदन पत्र प्रस्तुत नही है। आवेदन पत्र में वर्णित कथित मुख्त्यार अमीन खां को ऐसा आवेदन पत्र पेश करने का अधिकार नही है। आवेदन के साथ बताया गया मुख्त्यारनामा पेश नही है जिसके अभाव में कार्यवाही पोषणीय नही है। वर्तमान तक भी साजिदा के हस्ताक्षरों से आवेदन नही है और न साजिदा का वकालतनामा है तो आदेश 022 नियम 03 सी.पीसी तथा अनुच्छेद 120 परिसीमा के अन्तर्गत उक्त मूल वाद ही उपसमित हो चुका है और मूलवाद खारिज किए जाने योग्य है। प्रस्तुत आवेदन के साथ पेश शपथ पत्र भी पूर्ण रूप से अविधिक है। शपथ पत्र के नीचे किसी के हस्ताक्षर नही है। शपथ–पत्र के टंकण पर ओवर राईटिंग करके किसी के हस्ताक्षर बताए गए है और दूसरे हस्ताक्षर ... अंगुठा के नीचे बताये गए है जो शपथ पत्र साक्ष्य में ग्राह्य नही है। अतः बताई ... साजिदा का आवेदन सव्यय निरस्त करने की कृपा करें तथा मूलवाद को ... किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

बहस सुनी गई। वादीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के स्थान पर प्रार्थीया साजिदा को कायम मुकाम पक्षकार सयोंजित करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन है कि साजिदा की तरफ से कोई आवेदन या वकालतनामा पेश नही हुआ है तथा आवेदन वर्णित आम मुख्त्यार अनीस खां को ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है जिस कारण कार्यवाही पोषणीय नही है। आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी तथा परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत मूलवाद उपसमित हो चूका है जिसे खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया व रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

हस्तगत वाद कालूखां पुत्र आलम शेर खान माता महराज खातुन जाति पठान ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतु न्यायालय में पेश किया गया है। वादी कालू खां की मृत्यु दिनांक 06.05.2023 को हो चूकी है। वादी की मृत्यु दिनांक 06.05.2023 को होना दोनो पक्षकार स्वीकार कर रहे है। वादी की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान की तरफ से उसके स्थान पक्षकार संयोजित होने के लिए आवेदन न्यायालय में पेश करना होता है। इस वाद में वादीपक्ष ने मृत वादी कालू खां के स्थान पर साजिदा पत्नी कालू खां को पक्षकार संयोजित करने के लिए आवेदन पेश हुआ है। यह आवेदन साजिदा के द्वारा पेश नही हुआ है तथा न ही साजिदा का कोई वकालतनामा पेश है। प्रकरण में जो आवेदन पेश हुआ है वह मुख्त्यार अनीस खां के द्वारा पेश किया गया है जिसको उक्त आवेदन पेश करने का विधिक अधिकार नही है। मृत वादी के विधिक वारिसान की तरफ से आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है इसलिए अनीस खां के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। आवेदन अनीस खां के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत नही होने से स्वीकार्य नही है। अतः अनीस खां के द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी खारिज किया जाता है।

मृत पक्षकार वादी कालूखां के विधिक वारिसान/साजिदा के हस्ताक्षरों से आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी के तहत आज दिन वादी के स्थान पर कायम मुकाम संयोजित करने का प्रार्थना पत्र पेश नही हुआ है। अनीस खां के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने से खारिज किया गया है ऐसी स्थिति में कायम मुकाम परिसीमा अवधि में पेश नही होने के कारण मूलवाद उप समित हो चुका है। वाद उपसमित होने के कारण काबिले खारिज है।

–:: आदेश ::–

मृत पक्षकार वादी कालूखां के विधिक वारिसान/साजिदा के हस्ताक्षरों से आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी के तहत आज दिन तक वादी के स्थान पर कायम मुकाम संयोजित करने का प्रार्थना पत्र पेश नही होने से तथा अनीस खां के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी का खारिज होने के फलस्वरूप वाद उपसमित होने के कारण दावा वादी जरिए एबेटमेन्ट खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 25.07.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner